



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 32/2016

वादी

बाबुलाल पुत्र स्व. श्री सेसाराम
उम्र 40 वर्ष, जाति सीरवी,
निवासी ग्राम बिलाड़ा चक संख्या
3, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री सेसाराम
2. पानीदेवी पत्नी श्री सेसाराम
जातियान सीरवी, निवासीगण
ग्राम बिलाड़ा, चक नम्बर 3
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा जिला
जोधपुर
4. विक्रय अधिकारी, बिलाड़ा
सहकारी भूमि विकास बैंक लि.
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज लगायी गयी वादी स्वयं अथवा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाजे लगायी गयी मगर वादी अथवा उनकी और से अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः वादी का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा